निदेशालय, विकलांग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांकः 003-301 SNP   दिनांकः 07 अगस्त, 2014

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी
लखनऊ,गोरखपुर, सहारनपुर, बांदा, प्रतापगढ, इलाहाबाद, फर्रूखाबाद, आगरा, बरेली ।

विपयः अनुदान संख्याः79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षकः2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण आयोजनेतर पक्ष में बजट आवंटन ।

चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आय-व्ययक के अनुदान संख्याः 79 के लेखाशीर्षकः 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02- समाज कल्याण- आयोजनेतर-101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-14-विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन में कुल रू0 8,22,63,435/-(रूपये आठ करोड़ बाईस लाख तिरसठ हजार चार सौ पैंतीस मात्र) की धनराशि संलग्न तालिकानुसार आपके जनपद में स्थित विधालयों हेतु एतद्वारा आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है।

1. यह ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का आवंटन ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार प्रदान नही करता है। नियमों में जहॉ कहीं भी आवश्यक हो, व्यय करने से पहले शासन/विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक व्यय न किया जाये।
2. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती माह में कोषागार से आहरित धनराशि का व्यय विवरण दो प्रतियों में बी0एम0-8 निर्धारित प्रपत्र पर एवं कोषागार डी0डी0ओ0रिकन्सीलेशन शीट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें इस सम्बन्ध में अलग से कोई पत्र व्यवहार नही किया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक भी वांछित सूचनायें प्राप्त नही होता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन रोकने के आदेश निर्गत कर दिये जायेगे।
3. यह ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का आवंटन ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार प्रदान नही करता है। नियमों में जहॉ कहीं भी आवश्यक हो, व्यय करने से पहले शासन/विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक व्यय न किया जाये।
4. आवंटित धनराशि में से समय-समय पर उतनी ही धनराशि का कोपागार से आहरण किया जाये जितनी तत्काल भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक हो। कोई भी धनराशि आहरित करके बैंक अथवा पी0एल0ए0 में न रखी जाये।
   जिन मदों में धनराशि आवंटित की गयी है उन्हीं मदों में नियमानुसार फाइनेन्शियल हैण्डबुक/बजट मैनुअल एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुसार व्यय की जाये।
5. उपर्युक्त आवंटन निदेशालय के बजट नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ संख्या पर 15 प्रविष्ट है।

धनराशियों का प्रदेशन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय को करने का अधिकार नही देता, आहरण के पूर्व अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः

1- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी लखनऊ,गोरखपुर, सहारनपुर, बांदा, प्रतापगढ, इलाहाबाद, आगरा, बरेली, फर्रूखाबाद
2. प्रधानाचार्य, स्पर्श बालक/बालिकां विद्यालय लखनऊ, सहारनपुर, बांदा, गोरखपुर।
3. प्रयास विद्यालय, लखनऊ, प्रतापगढ़ ।
4. संकेत विद्यालय गोरखपुर, बरेली, फर्रूखाबाद, आगरा
5. ममता विद्यालय, इलाहाबाद/लखनऊ ।
6. महालेखाकार कार्यालय प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद ।

(के0एन0सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी